

विगत 10 वर्ष में विभाग की उपलब्धियां

- वर्ष 2004–2005 में प्राप्त राजस्व 454 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–15 में 1875 करोड़ का राजस्व प्राप्त करना।
- सभी वर्ग के पदों पर रिक्तता एवं पात्रतानुसार कमोन्नति की गई।
- लोकसेवा आयोग एवं व्यापम के माध्यम से पूर्ति किए जाने वाले पदों का मांग पत्र प्रेषित किया गया।
- सभी परिवहन कार्यालयों के समस्त कार्यों को कम्प्यूटराइज कर स्मार्ट चिप लिमिटेड के साथ किए गए करार के अंतर्गत कार्यवाही कर, कर अपवंचन को रोका गया।
- नागरिकों की सुविधा हेतु ई-सेवा प्रारम्भ की, जिसके अंतर्गत विभाग की वेबसाइट mptransport.org पर विभागीय कार्य की सुविधा व एस एम एस नंबर 53030 एवं कॉल सेन्टर नंबर 0751–2621926 पर किए गए प्रश्नों का निराकरण।
- बस यात्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करने हेतु दूरभाष क्रमांक 0751–2423113 एवं 0751–2423105 पर व्यवस्था की गई।
- नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाईसेंस के आवेदकों के लिए ऑनलाईन अपाइन्टमेंट की व्यवस्था।
- ऑनलाइन टैक्स व फीस पेमेन्ट की व्यवस्था।
- डीलर प्वाइंट एनरोलमेन्ट सिस्टम के द्वारा वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु डीलर से वाहन खरीदने के बाद डीलर के माध्यम से टैक्स एवं फीस विभाग की वेबसाइट पर जमा करवाना।

- मनपसन्द रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ई-ऑक्शन सिस्टम आरम्भ किया गया है, जिससे आवेदक अपनी मनपसन्द के नंबर के लिए बोली लगा सकता है।
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2014 लागू कराया गया जिससे करो का सरलीकरण किया गया।
- पर्यावरण हितैषी वाहनों का जीवनकाल कर 2 से 3 प्रतिशत कम किया गया है।
- BOT मॉडल पर 14 परिवहन चौकीपोस्टों को एकीकृत जांच चौकी के रूप में तैयार कराया गया जिससे एक ही स्थान पर परिवहन के अलावा अन्य विभागों का राजस्व भी एकीकृत किया जा रहा है।
- लोकसेवा गारन्टी के अंतर्गत 3.73.082 लर्निंग लाईसेंस 1,24,043 फिटनेस एवं 14,19,502 वाहन पंजीयन के आवेदनों का निराकरण किया गया।
- सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों का निराकरण किया गया।
- सी.एम. हेल्पलाइन के अंतर्गत 2,825 शिकायतों का निराकरण।
- राज्य के 50 जिलों में PWD के माध्यम से परिवहन कार्यालयों का निर्माण जिसके अंतर्गत 43 जिलों में निर्माण कार्य आरम्भ।
- स्कूल बसों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन निरन्तर कराया जा रहा है।
- यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का चेकिंग अभियान बराबर जारी है, जिसके अंतर्गत बसों में दो दरवाजे, आपातकालीन विंडो लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्रायवरो के लाईसेंस निरस्त करना तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करना।

- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं का पूर्णरूपेण क्रियान्वन कराया गया।
- माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार ग्रामीण परिवहन सेवा आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा 1,787 मार्ग सूत्रीकृत कर 19,148 अनुज्ञा अभी तक जारी की गई है।
- आमजनता की उच्च यातायात की सुविधा हेतु नान-स्टॉप बस सेवा आरम्भ कराई गई है, जिसके लिए 11 मार्ग सूत्रीकृत कर 49 अनुज्ञा जारी की गई है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में महिलाओं के नवीन लाईसेंस बिना फीस के बनाये जाने हेतु शीघ्र ही शासन से आदेश जारी किये जा रहे हैं।
- व्यावसायिक चालक/परिचालक एवं उनके कल्याण हेतु चालक/परिचालक कल्याण मंडल का गठन कराया गया है, जिसके माध्यम से चालक/परिचालकों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जाना है।
- चालक/परिचालक के सामाजिक सुरक्षा हेतु समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है।
- यात्रियों की उच्चतम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लोक परिवहन अद्योसंरचना अंतर्गत मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अर्थोरिटी का गठन कराया गया है, जिसके माध्यम से बस स्टेंडों का आधुनिकीकरण किया जाकर आम जनता को उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
- राज्य शासन की मंशानुरूप विभाग में आवेदक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरित/सत्यापित शपथपत्र/प्रमाण को मान्यता प्रदाय की।

- आगामी तीन वर्ष में पंजीकृत होने वाले हारवेस्टर ट्रैक्टर जो कृषि कार्य में उपयोग में लाये जायेंगे, को जीवनकाल दर 6 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कराया गया।
- मालवाहनों में एवं अर्थमूवर वाहनों के पंजीयन को सरलीकरण कर ऑनलाइन व्यवस्था आरम्भ की गई है।
- प्रदेश में आने वाले पर्यटक वाहनों के अस्थायी परमिट/लाईसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने हेतु शीघ्र ही आदेश जारी कराये जा रहे हैं।
- वाहनों को प्रदुषण मुक्त करने के लिए नये प्रदुषण केन्द्र खोले जा रहे हैं एवं प्रदुषण जांच निरन्तर की जा रही है। इस संबंध में नियमों का सरलीकरण कर नोटिफिकेशन शीघ्र जारी किया जा रहा।
- रोडसेफ्टी के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया गया।
- रोडसेफ्टी के अंतर्गत चालकों के नियमित स्वास्थ्य/ऑखों का परीक्षण कर दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ कैम्प लगाने के प्रयास किये।
- कॉलेजों में लर्निंग लाईसेंस केम्पों का आयोजन किया गया।
- यात्रियों की सुविधा के लिए कार्यालयों में हेल्पडेस्क चालू करने के प्रयास किये गये।
- परिवहन कार्यालयों में केश काउंटर की व्यवस्था।
- परिवहन यानों के विज्ञापन की नीति/सरक्युलर तैयार किये जिससे शासकीय विज्ञापनों को बढ़ावा मिले एवं सड़क पर ऐसे विज्ञापन जिसके कारण चालको को परेशानी हो सकती है, हटाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों को अधीकृत किये जाने हेतु नोटिफिकेशन की ओर ध्यान दिया।